कृषि उत्पाद पर सब्सिडी छोड़नेवाला ग्राहक आंदोलनही किसान को बचा सकेगा

- राहुल बैस
(लेखक किसानों का निकटतम संबंधी एक ग्रामस्थ है)

लगता है कि हमारें प्रधानमंत्रीजी की 'मन की बात' देश सुनता और अमल करता है। रसोई गैस सब्सिडी छोडने की उनकी अपील 'गिव-इट-अप' देखते-ही-देखते जनआंदोलन बन गई। किसी एक गरीब माँ को चूल्हें के धूएं की तकलीफ से बचाने के लिए रसोई गैस सब्सिडी छोडने वाले सभी भद्र जन तथा उनके प्रेरणादीप, हमारें प्रधानमंत्रीजी को बधाई एवं धन्यवाद!

हमारें यहां विदर्भ-मराठवाडा प्रांतमें यह गरीब माँ खेतीहर मजूदर होती है, या फिर किसान परिवार की सदस्य अथवा पति के आत्महत्या उपरांत किसान परिवार की मुखिया। हम चाहते है कि उसके रसोई में बिना धुएं की तकलीफ का खाना पके। हम यह भी चाहेंगे कि उसके पास पर्याप्त कपड़े हो, उसके बच्चे स्कूल-कालेज पढ़ सके, एवं जीवनयापन की अन्य जरूरतें पूर्ण करने योग्य उसकी कमाई हो। उसे कर्जा लेना पडे तो वह उद्योग में बढ़ोत्तरी के लिए हो, जीवनयापन के लिए वह कदापि कर्जदार ना बने।

लेकिन हमारें इस माँ की जिंदगी में कर्जदारी एक भीषण एवं स्थायी वास्तविकता हो गई है। दिसंबर २०१४ में प्रकाशित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ७०वे दौर के रिपोर्ट अनुसार देश के ९.२ करोड़ किसान परिवारोंमें से ५२ प्रतिशत पर प्रतिपरिवार लगभग रू. ४७,००० कर्ज हमेशा बना रहता है। महाराष्ट्र में ५७.३ प्रतिशत किसान परिवारों पर यह कर्ज प्रतिपरिवार अनुमानतः रू ५४,७०० है। इसी रिपोर्ट अनुसार देश में किसान परिवारों की औसत प्रतिमाह आय रू. ६,४२६ (कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन से रू ८४ कम) है; और उनका औसतन प्रतिमाह व्यय रू. ६,२२३ है। इतनी कम आमदनी में कर्जा चुकायेंगे कैसे? अतः कर्ज हमेशा बना रहना स्वाभाविक है।

किसानों की आमदनी कम क्यों है? इसका जवाब 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (कमिशन फॉर एग्रिकल्चरल कॉस्टस् एण्ड प्राईसेस्), भारत सरकार के खरीफ एवं रबी कृषि उत्पाद मूल्य नीति २०१५-१६ (प्राईस पालिसी) में मिलता है। आयोग के अध्ययन अनुसार सन २०१०-११ से २०१२-१३ दौरान महाराष्ट्र के किसानों को प्रमुख फसलों पर एक मौसम में औसत प्रतिलाभ निम्नलिखित मिला -

फसल	प्रतिलाभ	
	रूपये/प्रति हैक्टर	प्रतिशत
धान	- ४,०२४	- ८%
ज्वार	- ४३८	- १%
बाजरा	- १,२१७	- ४%
रागी	- १०,८७४	- ३३%
अरहर	७,२८४	१५%
मूंग	- २,८८९	- १०%
उडद	- ४,५३१	- १७%
मूंगफल्ली	१२,२९७	२३%
सोयाबीन	५,९०४	१८%
सूर्यफुल	७,६४९	२८%
कपास	३,३१९	५%
गेहूं	३,५३६	९%
चना	४,८७६	१७%

जलवायू परिवर्तन तथा अन्य कारणों से पैदावार घटनेपर किसान को कितना प्रतिलाभ मिला होगा? प्रतिहैक्टर औसत पैदावार होनेपर भी अनेक फसलों में ऋणात्मक प्रतिलाभ यानी नुकसान सहन करना पडा। महाराष्ट्र में सामान्यतः भूमिधारणा १ हैक्टर से कम होने से प्रतिलाभ की राशि उपरोक्त तालिका से अधिक नहीं हो सकती।

आयोग द्वारा खरीफ एवं रबी वर्ष २०१५-१६ के लिए प्रमुख फसलों का सिफारिश किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) स्पष्ट कर देता है कि किसानों के लिए सम्मानजनक आमदनी इस साल भी मिलना असंभव है। कृषि संकट का सामना करते महाराष्ट्र के लिए आयोग द्वारा अनुमानित फसल लागत खर्च

(बाजार खर्च, परिवहन एवं फसल बिमा-किस्त अतिरिक्त), सिफारिश की गई एमएसपी तथा अपेक्षित प्रतिलाभ राशि निम्नलिखित है -

फसल	अनुमानित लागत खर्च (रू./प्रतिक्विंटल)	एमएसपी सिफारिश (रू./प्रतिक्विंटल)	अपेक्षित प्रतिलाभ (रू./प्रतिक्विंटल)
धान	२,००७	१,४१०	- ५९७
ज्वार	१,८८६	१,५७०	- ३१६
बाजरा	१,३९७	१,२७५	- १२२
रागी	२,५५४	१,६५०	- ९०४
अरहर	४,८७७	४,४२५	- ४५२
मूंग	५,२४१	४,६५०	- ५९१
उडद	६,७६४	४,४२५	- २,३३९
मूंगफल्ली	३,६५९	४,०३०	३७१
सोयाबीन	३,०६१	२,६००	- ४६१
सूर्यफुल	३,२८५	३,८००	५१५
कपास	४,५००	३,८००	- ७००
गेहूं	१,८४०	१,४५०	- ३९०
चना	३,४१६	३,१७५	- २४१

जानकार किसानों को शिकायत रहती है कि आयोग द्वारा अनुमानित लागत खर्च में सभी व्यावहारिक खर्चोंका समावेश नहीं होता, खर्च कम आँका जाता है, आदि। फिलहाल इन शिकायतों पर हम गौर ना करें तो भी इस वास्तव को स्वीकार करना होगा कि किसानों को सम्मानित जिंदगी के लिए आवश्यक आमदनी प्राप्त करा देने में एमएसपी की वर्तमान पद्धती कारगर नहीं। तकनिकी विवरण, आंतर्राष्ट्रीय बाजारभाव तथा अन्य अनेक कारणों से किसानों एवं 'भारतीय जनता पार्टी' को अपेक्षित एमएसपी में बढ़ोत्तरी (लागत खर्च पर न्यूनतम ५० प्रतिशत मुनाफा दिया जाना) संभव नहीं ऐसा सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र भारत सरकारने उच्चतम न्यायालय में दि. २१ फरवरी २०१५ को दाखिल किया, यह हमारी जानकारी में है। यानी एमएसपी द्वारा आमदनी सुधारने की गुंजाईश किसानों के लिए बची नहीं।

किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए हमारें प्रधानमंत्रीजीने 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' (पानी के हर बूंद से अधिकाधिक फसल उत्पाद) का आकर्षक नारा दिया है। पर क्या अधिक पैदावार अधिक आमदनी आकर्षित कर पायेगी? किसानों के ऋणात्मक प्रतिलाभ में ज्यादा पैदावार का होनेवाला असर अध्ययन करना होगा! क्योंकि सिंचाई सुविधा से न्यूनतम पैदावार जरूर बढ़ेगी, लेकिन बाजार के 'मांग-आपूर्ति' सिद्धांत अनुसार कीमत घटने की जोखिम भी बढ़ेगी।

कृषि उत्पाद का ऋणात्मक या कम प्रतिलाभ वास्तविकतः किसानों पर सरकार द्वारा बाध्य की गई ग्राहकों को दी जानेवाली सब्सिडी है। इसकी भरपाई करने में सरकार की असमर्थता उच्चतम न्यायालय में स्वीकार ली गई। परंतु भारतीय समाज ने असमर्थ होना हमें मंजूर नहीं। जरूरत है जनआंदोलन की। प्रधानमंत्रीजी अपील करें ना करें, रसोई गैस सब्सिडी छोडने की तर्ज पर ग्राहकोंने कृषि उत्पाद पर बाध्य की गई सब्सिडी छोड़ना चाहिए। अर्थात् - किसान से गेहूं खरीदते समय एमएसपी अनुसार रू १४.५० प्रतिकिलोग्राम के बजाय अनुमानित लागत खर्च रू. १८, अतिरिक्त खर्च लगभग रू. ५ एवं न्यूनतम ५० प्रतिशत मुनाफा करीबन रू. १२ (कूल रू. 35 प्रतिकिलोग्राम) ग्राहक द्वारा किसान को सीधा अदा किये जाये।

किसानों के बदहाल स्थिती के लिए ग्राहकों को दी जानेवाली यह सब्सिडी ही जिम्मेदार है। शहर-गांव में ग्राहक-किसान संघ स्थापित करके कृषि उत्पाद की सही कीमत अदा करने में हम पहल करें! तभी 'जय किसान' सार्थक होगा।

लाल बहादूर शास्त्री जयंती, दिनांक २ अक्टूबर २०१५
राहुल बैस स्थान एवं पोस्ट अंजनगावबारी, व्हाया बडनेरा, तहसील एवं जिला अमरावती. (महाराष्ट्र) पिन-४४४७०१.
दूरभाष क्र ०९४२३१०२९८३, ईमेल : rahulbais@gmail.com